मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी, 2024 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 12 फरवरी, 2024 (माघ 23, 1945)

समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) **श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), -**

(क) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2022-2023 की द्वितीय छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण एवं वित्तीय वर्ष 2023-2024 की प्रथम छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण, तथा

(ख) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत बनाये गये नियम की कंडिका 9 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम, 2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 एवं 2018-2019 की अनुपालन एवं पुनर्विलोकन रिपोर्ट
पटल पर रखेंगे.

(2) **श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, -**

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 एवं तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018, तथा

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 8 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023
पटल पर रखेंगे.

(3) **श्री एदल सिंह कंषाना, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री**, जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे.

(4) **श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री, -**

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 47 की अपेक्षानुसार -

(i) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023 (30 जून, 2023 को समाप्त अकादमिक वर्ष), एवं

(ii) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) का 51 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023, तथा

(ख) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995 (क्रमांक 37 सन् 1995) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, करौंदी जिला-कटनी (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023, एवं

(ग) चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्रमांक 9 सन् 1991) की धारा 36 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, जिला-सतना (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023

पटल पर रखेंगे.

(5) **श्रीमती कृष्णा गौर, राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण,** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022 पटल पर रखेंगी.

(6) **श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री संस्कृति,** कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) **श्री रामनिवास रावत, सदस्य,** श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र में पदस्थ विद्युत कर्मियों द्वारा कृषि उपभोक्ताओं पर नियम विरूद्ध विद्युत चोरी के प्रकरण बनाये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) **श्री अनिल जैन (निवाड़ी), सदस्य,** निवाड़ी जिला प्रारंभ होने से लंबी अवधि के बाद भी विभागों को डी.डी.ओ. कोड प्रदाय न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्यमंत्री (वित्त) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. आवेदनों (याचिकाओं) की प्रस्तुति.

(1) **श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य,** दतिया जिले के ग्राम कुरेठा से देगुआं चमर तक रोड निर्माण कराये जाने,

(2) **श्री मथुरालाल डामर, सदस्य,** रतलाम जिले के ग्राम सन्दला-झर में हायर सेकेण्ड्री स्कूल का निर्माण कराये जाने,

(3) **श्री केशव देसाई, सदस्य,** भिण्ड जिले के गोहद अंतर्गत ग्राम चितौरा से सिद्धपुरा तक रोड निर्माण कराये जाने,

(4) **श्री श्रीकांत चतुर्वेदी, सदस्य,** मैहर जिले के ग्राम नादन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(5) **श्री भैरोसिंह बापू, सदस्य,** आगर-मालवा जिले के ग्राम मगीसपुर से गोपालपुरा होते हुए गणेशपुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(6) **श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य,** शिवपुरी जिले के करैरा अंतर्गत ग्राम दीबट-दिदावली के मध्य बरूआ नाले पर रपटा निर्माण कराये जाने,

(7) **श्री रामनिवास रावत, सदस्य,** भोपाल शहर के बी.डी.ए. कार्यालय से रचना नगर अण्डर ब्रिज तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(8) **श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य,** दतिया जिले के इन्दरगढ़ नगर में सभी रोडों के मध्य डिवाईडर एवं दोनों ओर सड़क निर्माण कराये जाने,

(9) **श्री मोन्टू सोलंकी, सदस्य,** बड़वानी जिले के ग्राम झिरीजामली से पांजरिया तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(10) **श्री प्रहलाद लोधी, सदस्य,** पन्ना जिले के ग्राम कोल करइया में नदी पर घाट का निर्माण कराये जाने,

(11) **डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य,** रतलाम जिले के काबुलखेड़ी फंटा से उपमण्डी सुखेड़ा पहुंच मार्ग की स्वीकृति प्रदान करने,

(12) **श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य,** छिन्दवाड़ा जिले के परासिया अंतर्गत कुण्डालीखुर्द, मानकादेही मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(13) **श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य,** टीकमगढ़ जिले के ग्राम पंचायत बम्हौरी अंतर्गत ग्राम सिनौनी में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने,

(14) **श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य,** टीकमगढ़ जिले के ग्राम लुर्हरा से सुकौरा तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(15) **इंजी. श्री प्रदीप लारिया, सदस्य,** सागर जिले के शासकीय सिविल अस्पताल मकरोनिया में दंत चिकित्सा विभाग प्रारंभ किये जाने,

(16) **श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य,** अनूपपुर जिले में कृषि महाविद्यालय खोले जाने,

(17) **श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य,** धार जिले के सरदारपुर के जैलाना में आदिवासी बालक छात्रावास एवं बरमण्डल तथा दत्तीगांव में 50 सीटर आदिवासी बालिका छात्रावास प्रारंभ करने,

(18) **डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य,** ग्वालियर शहर के वार्ड क्रमांक-28 हरनामपुरा बजरिया की पुलिया का पुनर्निर्माण कराये जाने,

(19) **श्री विपिन जैन, सदस्य,** मंदसौर जिले की ग्राम पंचायत पानपुर में सोमली नदी पर रपटा निर्माण कराये जाने,

(20) **श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य,** सिवनी जिले के ग्राम खेरी से सिमरिया तक मार्ग निर्माण कराये जाने,

(21) **श्री शरद जुगलाल कोल, सदस्य,** शहडोल जिले के ब्यौहारी अंतर्गत जयसिंह नगर में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य कराये जाने,

(22) **श्री साहब सिंह गुर्जर, सदस्य,** ग्वालियर शहर के वार्ड क्र.-65 विष्णु कॉलोनी में सड़क निर्माण कराये जाने,

(23) **श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य,** कटनी जिले के विजयराघवगढ़ अंतर्गत ग्राम हदरहटा के उटिन टोला से हर्रई बरनमहगवां तक पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(24) **सुश्री रामश्री राजपूत, सदस्य,** छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत मड़देवरा अंतर्गत ग्राम बसाई में शास. प्राथमिक शाला का निर्माण कराये जाने,

(25) **डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य,** धार जिले के मनावर अंतर्गत ग्राम सावलाखेड़ी में सड़क निर्माण कराये जाने,

(26) **श्री केदार चिड़ाभाई डावर, सदस्य,** खरगोन जिले के भगवानपुरा अंतर्गत ग्राम भैरूपुरा तक डामरीकृत सड़क निर्माण कराये जाने,

(27) **श्री अनिल जैन (निवाड़ी), सदस्य,** निवाड़ी जिले के टीकमगढ़-झांसी मार्ग पर ओरछा रेल्वे स्टेशन के पास एक अण्डर ब्रिज बनाये जाने,

(28) **श्रीमती सेना महेश पटेल, सदस्य,** अलीराजपुर जिले के ग्राम कालुवार की हथनी नदी पर चौकीदार फलिया में पुलिया सह स्टाप डेम का निर्माण कराये जाने,

(29) **श्री कालुसिंह ठाकुर, सदस्य,** धार जिले के वि.ख. नालछा अंतर्गत ग्राम जुनीआली में पुलिया का निर्माण कराये जाने,

(30) **श्री मधु भाउ भगत, सदस्य,** बालाघाट जिले के ग्राम खामी से वरूण घोटा मार्ग पर पुल निर्माण कराये जाने,

(31) **श्री अभय मिश्रा, सदस्य,** रीवा जिले के सेमरिया में प्रतापपुर माईनर नहर से जरमोहरा बांध तक पानी पहुंचाये जाने हेतु सब माईनर नहर का निर्माण कराये जाने,

(32) **श्री राजन मण्डलोई, सदस्य,** बड़वानी जिले के ग्राम चिप्याखेड़ी एवं घुघसी के मध्य गोई नदी पर रपटा/पुलिया निर्माण कराये जाने,

(33) **श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य,** बालाघाट जिले के लालबर्रा अंतर्गत ग्राम खोगाटोला से मुरझड के मध्य सर्राटी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने,

(34) **श्री विवेक विक्की पटेल, सदस्य,** बालाघाट जिले की तहसील खैरलांजी को अनुविभाग (राजस्व) में उन्नयन किये जाने,

(35) **श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी, सदस्य,** खरगोन जिले के ग्राम खेरदा से जुनापानी जैनुद नवलपुरा तक प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृति प्रदाय करने,

(36) **श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य,** भिण्ड जिले के अटेर अंतर्गत ग्राम पंचायत मुडियाखेड़ा के बघेल विहार में विद्युत सेपरेशन का कार्य कराये जाने,

के संबंध में आवेदन (याचिका) प्रस्तुत करेंगे.

5. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 38-देवरी से निर्वाचित सदस्य, श्री बृजबिहारी पटेरिया को विधान सभा के फरवरी, 2024 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

6. वर्ष 2013-2014 एवं वर्ष 2016-2017 के आधिक्य व्यय के विवरणों का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), वर्ष 2013-2014 एवं वर्ष 2016-2017 के आधिक्य व्यय के विवरणों का उपस्थापन करेंगे.

7. वर्ष 2024-2025 के वार्षिक वित्तीय विवरण का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), वर्ष 2024-2025 के वार्षिक वित्तीय विवरण का उपस्थापन करेंगे.

8. वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन करेंगे.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री (चिकित्सा शिक्षा), मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री, प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर), मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

10. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य द्वारा दिनांक 7 फरवरी, 2024 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा का ..... पुनर्ग्रहण

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.".

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 11 फरवरी, 2024